(125)

BIADA

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biada.org.in Email- biada@rediffmail.com Phone: 0612-2675998/2675991/2675889(fax)/2675296

आदेश

सर्वश्री आदित्य फुड प्रोडक्ट्स को कार्यालय पत्रांक 3187/डी दिनांक 10.05.10 के द्वारा औद्योगिक औद्योगिक विकास केन्द्र, गिद्धा में फुड प्रोडक्ट्स के उद्योग स्थापना हेतु 15,000 वर्गफीट भूमि का आवंटन किया गया।

आवंटित भूमि पर इकाई के द्वारा औद्योगिकरण की दिशा में कार्य नहीं किये जाने के कारण शाखा कार्यालय के पत्रांक 49 दिनांक 16.11.2011 एवं पत्रांक 26/जी दिनांक 17.04.2013 के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। इकाई की स्थिति पूर्ववत् होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 2967/डी दिनांक 11.05.2013 के द्वारा अंतिम कारण बताओ नोटिस इकाई को निर्गत किया गया। किन्तु इकाई की स्थिति पूर्ववत् है। साथ ही लेखा शाखा से प्राप्त गणना के अनुसार दिनांक 10.5.2013 तक इकाई पर इस प्राधिकार का कुल 1,04,761/–रू0 (एक लाख चार हजार सात सौ इकसठ रूपये) बकाया है जिसका भुगतान इकाई के द्वारा अद्यतन नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इकाई को उद्योग स्थापित करने में कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974 की धारा– 6 (क), बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमावली 1981 एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार संशोधन अधिनियम 1991 के प्रावधानों के अंतर्गत आवंटित भूमि रद्द कर वापस लेने के प्रदत्त शक्ति के तहत इकाई द्वारा जमा की गई राशि जब्त करने के प्रावधानों के आलोक में जमा राशि को जब्त करते हुए सर्वश्री आदित्य फुड प्रोडक्ट्स, औद्योगिक विकास केन्द्र, गिद्धा को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है। तत्पश्चात् इकाई को किये गये उक्त आवंटन पर इकाई का किसी प्रकार का अधिकार अथवा दावा मान्य नही होगा।

(प्रबंध निदेशक का आदेश)
दिनांक 29.3.2014

30/4/14

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञापांक 1998 /06/DO/BIADA/2010 दिनांक 04.04.14

प्रतिलिपि– सर्वश्री आदित्य फुड प्रोडक्ट्स, श्री अभिषेक कुमार, धरमन चौक, बीचली रोड, आरा भोजपुर/लेखा शाखा, बियाडा, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष सहायक, बियाडा, पटना/क्षेत्रीय प्रभारी, औद्योगिक विकास केन्द्र, गिद्धा /श्री धनंजय सिंह, अमीन, बियाडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/4/14

कार्यकारी निदेशक।